प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 03.06.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पताः-

1- बिट्टू उर्फ कैलाश पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

2- पप्पू पुत्र लीले निवासी ग्राम खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थाना छपरौली पुलिस टीम। (01 वारंटी)

2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम। (01 वारंटी)

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 03.06.25

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 43/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 154/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 176/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 03 बालअपचारियों के विरुद्ध की कार्यवाही, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ करीब 03 किलोग्राम केबिल कटा हुआ ,01 स्टार्टर, 01 ऑटोमैटिक ओपरेटर, 01 ए0सी0 आउटर कवर व 02 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

1-दिनाँक 05.02.25 को थाना खेकड़ा पर वादी एडवोकेट श्री राजीव कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांर 04/05.02.25 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के चैम्बर व वादी के पडोसी चैम्बर तहसील खेकडा की छतों से 03 एसी कम्प्रेशर चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 43/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

2-दिनाँक 12.05.25 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री आदेश कुमार पुत्र नर सिंह, सहेन्द्र धामा पुत्र हरीराम व बिल्लू यादव पुत्र चंदे यादव निवासीगण कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 11.05.25 को वादियों की

ट्यूबवैल से स्टार्टर पैनल –ऑटोमैटिक कैपीसीटर, बोल्टमीटर, Amp मीटर, टयूबवैल का केबिल, कुछ लोहे का सामान प्लास पेचकस, प्लास्टिक पाईप 50 मी0 पजामे वाला एक लोहे की नल, 20 मी0 प्लास्टिक पाईप 20 मी0 पजामे वाला,इन्वर्टर, झटका मशीन तराजू के बाट व खाने बनाने का सामान चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

3-दिनाँक 02.06.25 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री हरेन्द्र पुत्र महीपाल, देवीलाल पुत्र जगराम निवासीगण कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 31.05.25 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी के ट्यूबवैल केबिल चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 176/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 43/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 154/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 176/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं 03 बालअपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही गयी है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ करीब 03 किलोग्राम केबिल कटा हुआ ,01 स्टार्टर, 01 ऑटोमैटिक ऑपरेटर, 01 ए0सी0 आउटर कवर व 02 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 43/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 154/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 176/25 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है तथा बरामद चोरी की 01 मोटर साइकिल के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 177/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.शहनवाज उर्फ टक्कर पुत्र अकरम निवासी ठेके के पास कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान- 02.06.2025 समय 23.57 बजे व गैस एजेन्सी के पास कस्बा रटौल थाना खेकड़ा ।

गिरफ्तार अभियुक्त शहनवाज उर्फ टक्कर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 1338/2020 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 073/2023 धारा 120-B,380,457 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3.मु0अ0सं0 066/2023 धारा 380 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

4.मु0अ0सं0 345/2024 धारा 305/331(4)/ 317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

5.मु0अ0सं0 238/2024 धारा 115(2),126(2),131,351(2),352 बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

6.मु0अ0सं0 154/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

7.मु0अ0सं0 176/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

8.मु0अ0सं0 177/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएसथाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **03 किलोग्राम बिजली का केबिल कटा हुआ, 01 स्टार्टर, 01 ऑटोमैटिक ऑपरेटर (सम्बन्धित मु0अ0सं0154/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 176/25 धारा 303(2) बीएनएस)**
- **01 ए0सी0 आउटर कवर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 43/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस)**

- 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट।
- 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट चोरी की हुई (सम्बन्धित मु0अ0सं0 177/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा)

गिरफ्तार/कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3- उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
4- है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
5-है0का0 432 अनिल नागर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
6- है0का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
7-का0 555 रवि कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
8- का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 03.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 18 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तत्कर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 18 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 345/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोहन पुत्र हरपाल निवासी मौ0 दिलिप विहार कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 18 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 59 विजयपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-का0 1030 शुभम सारस्वत थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत **दिनांक 03.06.2025**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 335/25 धारा 304(2)/317(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से छीने हुए कुण्डल (पीली धातु) को बेचकर प्राप्त रुपयों में से 3100 रूपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.05.2025 को थाना बड़ौत पर वादिया ने लिखित सूचना दी कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके कान के कुण्डल छीन कर ले गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 335/25 धारा 304(2) बी.एन.एस. बनाम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 335/25 धारा 304(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से छीने हुए कुण्डल (पीली धातु) को बेचकर प्राप्त रुपयों में से 3100 रूपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र सूबेदार सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 3100 रूपये नगद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2-है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
4-का0 142 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 03.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 342/25 धारा 115(2)/352/108 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.06.2025 को थाना बड़ौत पर वादी श्री सन्तोष पुत्र हरस्वरूप निवासी गदईखेडा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त धान सिंह पुत्र नारायण निवासी गाँव रनियाठेर थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद द्वारा वादी के भाई रिंकू सिंह के साथ गाली-गलौच करते मारपीट की गयी, जिस कारण उसके भाई रिंकू सिंह ने आत्म हत्या कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 342/25 धारा 115(2)/352/108 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 342/25 धारा 115(2)/352/108 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

धान सिंह पुत्र नारायण निवासी गाँव रनियाठेर थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक -03.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा गत्ता व 01 पेन व 750 रूपये नगद व 10 सिम कार्ड बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से सट्टा पर्चा गत्ता व 01 पेन व 750 रूपये नगद व 10 सिम कार्ड बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आमिर अली पुत्र मौहब्बत अली निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

2-अमन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

3-परवेज पुत्र यामीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 सट्टा पर्चा गत्ता ।**
- **01 पेन ।**
- **750 रूपये नगद ।**
- **10 सिम कार्ड ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2- है0का0 351 पवन नागर थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-है0का0 236 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-का0 813 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।